



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के प्रयास के अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹14,000 के अर्थ दंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0 664/2017 धारा- 307,308,325,504,506 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एडीजे चतुर्थ जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मुन्नू यादव पुत्र कल्लू यादव निवासी सिकन्दरपुर कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹14,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
श्री चन्द्रप्रकाश गोस्वामी



विवेचक
उ0नि0 श्री भारत
यादव



पैरोकार थाना राठ
का0 प्रदीप भार्गव